समक्ष: के. कन्नन, न्यायमूर्ति

कर्तार सिंह ठेकेदार-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य-उत्तरदाता

2014 का सिविल संशोधन संख्या 8784
21 अप्रैल, 2015

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-धारा 34 और 43-सीमा अधिनियम, 1963-धारा 5 और 29-मध्यस्थता के मामले में सीमा अवधि-मध्यस्थता पुरस्कार ठेकेदार के पक्ष में पारित किया गया था-राज्य ने उक्त याचिका दायर करने में 342 दिनों की देरी को माफ करने के लिए धारा 5 के तहत दायर एक आवेदन के साथ उक्त पुरस्कार को अलग करने के लिए 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका दायर की थी-यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सीमा अधिनियम की धारा 29 (3) के संचालन द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत सीमा की एक विशिष्ट अवधि निर्धारित की गई है-इस प्रकार, देरी की माफी के संबंध में सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता उक्त प्रावधान द्वारा बहिष्कृत होगी-पुरस्कार को अलग करने के लिए राज्य द्वारा दायर याचिका कानून में वर्जित के रूप में खारिज करने के लिए उत्तरदायी थी।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि असम शहरी जलापूर्ति और मलजल बोर्ड बनाम सुभाष परियोजना और विपणन लिमिटेड [2012] 2 एस. सी. सी. 624 में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि परंतुक में उल्लिखित 30 दिनों की अवधि धारा 34 की उपधारा 3 का अनुसरण करती है न कि माध्यस्थम् अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन करने के प्रयोजनों के लिए "विहित अवधि" का और इसलिए परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 को आकर्षित नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि गणना की गई सीमा की अवधि मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है। न्यायालय का मानना था कि सीमा अधिनियम की धारा 4 के तहत समय बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 43 का निर्देश करते हुए, जिसमें परिसीमा अधिनियम के उपबंधों की प्रयोज्यता का उपबंध किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने समेकित अभियान्त्रिकी उद्यम बनाम प्रधान सचिव सिंचाई विभाग [2008] 7 एस. सी. सी. 169 में अभिनिर्धारित किया कि कार्यवाहियां, जिन पर धारा 43 में विचार किया गया है, माध्यस्थम् की कार्यवाहियों पर लागू होंगी क्योंकि यह न्यायालय में वाद की कार्यवाहियों पर लागू होती है। लेकिन पुरस्कार को चुनौती देने के लिए धारा 34 के तहत कार्यवाही को धारा 43 के तहत नहीं लिया जाएगा। न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की धारा 29 (3) का निर्देश देते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता माध्यस्थम्

अधिनियम की धारा 34 के अधीन विहित परिसीमा की एक विशिष्ट अवधि द्वारा अपात्र होगी। दूसरे शब्दों में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 34 (3) परन्तुक के अधीन निर्दिष्ट परिसीमा की विनिर्दिष्ट अवधि परिसीमा अधिनियम की धारा 29 (3) के प्रवर्तन द्वारा धारा 5 की प्रयोज्यता को अपवर्जित कर देगी। इस बात को यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी [2001] 8 एससीसी 470 में दोहराया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 34 के अधीन आवेदन दाखिल करने में सीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में विलम्ब को माफ नहीं कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि धारा 34 अधिनियम के भाग I में निहित है और धारा 43 (3) के तहत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी था। वे भी इस न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय हैं जो वकील द्वारा उद्धृत किए गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में उनका पालन किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें पुनः पेश करने की आवश्यकता है। राज्य द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष दायर याचिका सक्षम नहीं थी और खारिज होने योग्य थी। मैं धारा 34 के तहत दायर याचिका को अस्वीकार करने का आदेश देता हूं जैसा कि कानून में वर्जित है और नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर देता हूं।

(पैरा 6)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक खत्री।
गौरव गोयल, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

के. कन्नन, न्यायमूर्ति (Oral)

(1) संशोधन उस आदेश के खिलाफ है जिसमें सीमा के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में माने जाने की अनुमति दी गई है, जब ठेकेदार ने याचिका की रखरखाव पर आपत्ति जताई थी। मान लीजिए, यह अधिनिर्णय 12/02/2013 को पारित किया गया था और यह याचिका माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 34 के अधीन केवल 22/04/2014 को राज्य द्वारा आरंभ की जा रही थी। याचिका के साथ धारा 5 के तहत एक आवेदन दिया गया था जिसमें इसे दायर करने में 342 दिनों की देरी को माफ करने के लिए कहा गया था। निचली अदालत ने एक मुद्दा तैयार किया कि क्या पुरस्कार को दरकिनार किया जाना चाहिए और क्या अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर याचिका पर समय की पाबंदी है।

(2) जब आपत्ति यह थी कि याचिका कानून द्वारा वर्जित थी, तो न्यायालय वस्तुतः आपत्ति पर निर्णय देने के अपने कर्तव्य का त्याग कर रहा था, लेकिन इसे 16/01/2015 की तारीख तक स्थगित करने की अनुमति दी।

(3) निम्नलिखित न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 34 (3) सीमा की एक विशेष अवधि के लिए प्रावधान करने में स्व-निहित है और धारा 5 के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना है कि आखिरकार सीमा के मुद्दे पर नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है और इसे उचित समय पर विचार करने के लिए नीचे दिए गए न्यायालय पर छोड़ा जा सकता है।

(4) यदि परिसीमा की अवधि कानून और तथ्य और साक्ष्य का एक मिश्रित प्रश्न है, तो मुझे राज्य की याचिका को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होगी कि मामला विचार के लिए निचली अदालत के समक्ष जा सकता है। यदि, दूसरी ओर, मुद्दा कानून का एक प्रत्यक्ष सिद्धांत है जिसे लागू किया जाना है, तो हमें इसे एक न्यायाधीश के समक्ष रखकर एक अनावश्यक अभ्यास के माध्यम से चलाने की आवश्यकता नहीं है, जो इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि प्रारंभिक समय में उसके सामने क्या लाया गया है।

(5) अधिनियम की धारा 34 (3) इस प्रकार है:

"अपास्त करने के लिए आवेदन उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस तारीख को वह आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था या, यदि कोई अनुरोध किया गया था, तो धारा 33 के तहत, उस तारीख से जिस पर उस अनुरोध का निपटारा किया गया था। बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।"

(6) माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में इस उपबंध पर विचार किया गया है। असम अर्बन वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड बनाम मेसर्स सुभाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड, 2012 (2) एस. सी. सी. 624 में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि परंतुक में उल्लिखित 30 दिनों की अवधि धारा 34 की उपधारा 3 का अनुसरण करती है न कि माध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन

करने के प्रयोजनों के लिए "विहित अवधि" और इसलिए सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 को आकर्षित नहीं किया जाता है। इसका अर्थ है मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई सीमा की अवधि। न्यायालय का मानना था कि सीमा अधिनियम की धारा 4 के तहत समय बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 43 का निर्देश करते हुए, जिसमें परिसीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का उपबंध किया गया था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेसर्स कंसोलिडेटेड इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज बनाम प्रधान सचिव सिंचाई विभाग और अन्य, 2008 (7) एससीसी 169 में अभिनिर्धारित किया कि वे कार्यवाहियां, जिन पर धारा 43 विचार करती है, माध्यस्थम् की कार्यवाहियों पर उसी प्रकार लागू होंगी जैसे कि वे न्यायालय में वाद की कार्यवाहियों पर लागू होती हैं। लेकिन पुरस्कार को चुनौती देने के लिए धारा 34 के तहत कार्यवाही को धारा 43 के तहत नहीं लिया जाएगा। न्यायालय ने सीमा अधिनियम की धारा 29 (3) का संदर्भ देते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत निर्धारित सीमा की एक विशिष्ट अवधि से बाहर रहेगी। दूसरे शब्दों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 34 (3) परन्तुक के अधीन निर्दिष्ट परिसीमा की विनिर्दिष्ट अवधि परिसीमा अधिनियम की धारा 29 (3) के प्रवर्तन द्वारा धारा 5 की प्रयोज्यता को अपवर्जित कर देगी। इस बात को यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी 2001 (8) एससीसी 470 में दोहराया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अधीन आवेदन दाखिल करने में सीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में विलम्ब को माफ नहीं कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि धारा 34 अधिनियम के भाग I में निहित है और धारा 43 (3) के तहत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन अस्वीकार करने योग्य था। वे भी इस न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय हैं जो वकील द्वारा उद्धृत किए गए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में उनका पालन किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष दायर याचिका सक्षम नहीं थी और खारिज होने योग्य थी। मैं धारा 34 के तहत दायर याचिका को अस्वीकार करने का आदेश देता हूं जैसा कि कानून में वर्जित है और नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर देता हूं।

(7) पुनरीक्षण याचिका की अनुमति है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रमनीक कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
फ़रीदाबाद, हरियाणा